भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

IND J

राजस्थान RAJASTHAN E 923986

उप कोषाधिकारी, चौमूं (जयपुर)
26 NOV 2007
नॉन ज्यूडिशियल

श्रीरामजीः

:– विक्रय पत्र –:

मै, **राजरानी शर्मा धर्मपत्नी श्री प्रदीप कुमार शर्मा उम्र 41 वर्ष, जाति ब्रहम्ण, निवासी रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर** की रहने वाली हू।

यह कि वाके ग्राम **स्याऊ** तहसील चौमू जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बरान की सारणी निम्न प्रकार से हैः–

(60)

रवीन्द्र टैगोर पब्लिक स्कूल समिति जरिये सचिव- प्रदीप कुमार 9 आर्टिकल्स द्वारा

स्वीकार ——

विक्रयमूल्य ——

कैलाश चन्द शर्मा
अधिकृत स्टाम्प विक्रेता
... 27/25/98

आज दिनांक **13** माह **December** सन् **2007** को **16:03** बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री **RAJ RANI** पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री **PRADEEP KUMAR**
उम्र **41** वर्ष, जाति **BRAHMAN** व्यवसाय **HW**
निवासी **RINGAS**
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, **CHOMU**
(2007006718)
(Sale Deed (Conveyance deed))

रसीद नं0 **2007005443** दिनांक **13/12/2007**
पंजीयन शुल्क रू0 15700/–
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/–
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/–
अन्य शुल्क रू0 0/–
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 101950/–
कुल योग रू0 117850/–

(2007006718) उप पंजीयक, **CHOMU**
(Sale Deed (Conveyance deed))

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (**Executant**) **1-RAJ RANI/PRADEEP KUMAR** **Age:41, Caste-BRAHMAN** **Ocu.-HW** **R/O-RINGAS**			

मूँ (ज ...पुरा)

सारणी

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	556	3.10 हैक्टेयर	चाही / जाव ए
2.	561	7.14 हैक्टेयर	चाही / जाव ए

कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 10.24 हैक्टेयर

यह कि उक्त उल्लेखित सारणी में वर्णित कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 10.24 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 157 / 1024 भाग मेरे नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

यह कि उक्त उल्लेखित सारणी में वर्णित मेरे हिस्से की भूमि पर मेरा ही कब्जा, काश्त व मालिकाना हक व अधिकार व स्वामित्व है। जिसे मुझे हर प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने एवं बेचान व स्थानान्तरण करने के हक व अधिकार प्राप्त है। जिस पर आज से पूर्व का कोई ऋण, कर, भार, सरकारी, गैर–सरकारी, बैंक एवं जन साधारण आदि का कोई बक़ाया नहीं है। जो आज तक पूर्णतया पाक एवं साफ है।

यह है कि मुझे अपनी खानगी खर्च एवं अन्य कार्यो की पूर्ति हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण उक्त उल्लेखित सारणी में वर्णित कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 10.24 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 157 / 1024 भाग सम्पुर्ण को मय बोल, डोल, वृक्ष पानी, पुला आदि सहित के मुबलिक 1,00,000 / – रूपये अक्षरे एक लाख रूपयें मात्र के बदले में कतई बेचान **सेन्ट्रल टैगोर पब्लिक स्कूल समिति जरिये सचिव श्री प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीशप्रसाद शर्मा उम्र 45 वर्ष, जाति ब्रहम्ण, निवासी रींगस, तहसील श्रीमाधोपूर जिला सीकर** वाले को बेचान कर दिया है, एवं बिचोती की सम्पूर्ण चुकता रकम नकद प्राप्त कर ली है। विक्रित भूमि का कब्जा मालिकाना केता को वास्तविक रूप से केता को सम्भला दिया है, करा दिया है।

यह है कि उक्त उल्लेखित विक्रित भूमि से मुझ विक्रेत्री व मेरे वारिसान भाई बन्धु गोती, नाती, ऐजेन्ट, सर्वेन्ट व नोमिनी आदि का कोई हक समबन्ध व अधिकार नही रहा है एवं न ही कभी भविष्य में रहेगा।

यह कि उक्त उल्लेखित विक्रित भूमि का केता अपने स्वयं के नाम से नामान्तकरण खुलवाये, राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये, काश्त करें, उपयोग उपभोग में लेवे, किसी अन्य को बेचान हस्तानान्तरण करे पूर्णतया मालिक स्वामी हो गया है एवं सदैव भविष्य में रहेगा। उक्त कार्यवाहियों में जहॉ कहीं भी केता को मुझ विकेंत्री के हस्ताक्षर, बयान, शपथपत्र आदि की आवश्कता होगी या पडेगी तो इसके लिए मै विक्रेत्री हमेशा तैयार एवं बाध्य रहूगी।

यह कि उक्त उल्लेखित विक्रत भूमि आज से पूर्व पूर्णतया पाक एवं साफ है, आज से पूर्व का कोई ऋण, कर, भार एवं जन साधारण का झगडा टन्टा नही है यदि कोई होगा एवं निकलेगा तो उन सभी की भरपाई एवं चुकारा मै विक्रेत्री अपने स्वयं के खर्चे के साथ अदा करने के लिए बाध्य रहूगी। उक्त विक्रित भूमि की उक्त बिचौती के विरूद्ध कोई अन्य व्यक्ति किसी प्रकार की उज्रदारी, आपत्ति करेंगें या उठायेंगें तो उन सभी का पूर्ण तस्फीया एवं चुकारा मै स्वयं विक्रेत्री अपने खर्चें के साथ वहन करने के लिए बाध्य रहूगी।

यह कि उक्त उल्लेखित विक्रित भूमि के सम्बन्ध में जो भी हक व अधिकार मुझ विक्रेत्री को प्राप्त थे वे सभी स्वत्वाधिकार जरिये इस विक्रय पत्र के केता को प्राप्त हो गये है जो सदैव भविष्य में भी रहेगें।

विकित भूमि का संक्षिप्त विवरण एवं स्थिति

ग्रम **स्याऊ** अन्तर्गत तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि की उक्त उल्लेखित सारणी में वर्णित कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 10.24 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 157 / 1024 भाग की भूमि का बेचान किया

गया है। विक्रित भूमि सडक से आठ सौ मीटर की दूरी पर स्थित है। जिसके आस पास कोई औद्योगिक व वाणिज्य क्षेत्र नही है। जो कृषि प्रयोजनार्थ की है।

यह कि इस विकय पत्र का समस्त खर्चा केता ने ही वहन किया है एवं केता के जिम्मे ही रहा है।

अतः यह विक्रय पत्र हमने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश हवास व स्थिर बुद्धि की हालात मे निम्न गवाहान के समक्ष सोच समझ व पढ सुनकर सही मानते हुये 100/ रूपये के स्टाम्प कीमत के किता एक एवं पेपर किता तीन पर तहरीर व तकमील करवा दिया है ताकी सनद रहे व वक्त जरूरत समय पर काम आवे। इति0 दिनांक

नोटः— इस विक्रय पत्र की फोटो प्रति अस्पष्ट अथवा अपठनीय होने पर विभाग की जिम्दारी नही होगी।

हस्ताक्षर गवाहान

हस्ताक्षर विक्रेत्री

1—

उप पंजीयक चौमू

2—

हस्ताक्षर केता

मात्र प्रारूप तैयार किया

अरूण कुमार बागडा

एडवोकेट